

धारा 9. लोक सेवक पर वैयक्तिक असर डालने के लिए परितोषण का लेना-जो कोई अपने लिए या किसी अन्य के लिए किसी प्रकार का कोई परितोषण किसी लोक सेवक को चाहे नामित या अन्यथा अपने वैयक्तिक प्रभाव के प्रयोग द्वारा इस बात के लिए उत्प्रेषित करने के लिए हेतु या ईनाम के रूप में किसी व्यक्ति से प्रतिग्रहीत करेगा या अभिप्राप्त करेगा या करने को सहमत होगा या करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक कोई पदीय कार्य करे या करने का लोप करे अथवा किसी व्यक्ति को ऐसे लोक सेवक के पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई उपकार करे या दिखाए या दिखाने का लोप करे अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संसद या राज्य विधान मंडल या किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या धारा 2 के खंड ग में वर्णित शासकीय कम्पनी अथवा किसी लोक सेवक से चाहे नामित हो या अन्यथा ऐसे कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक हो सकेगी किन्तु जो छह मास से कम की नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडणीय होगा।

धारा 10. धारा 8 या धारा 9 में परिभाषित अपराधों को लोक सेवक द्वारा उत्प्रेरण के लिए दंड -जो कोई लोक सेवक होते हुए धारा 8 या 9 में परिभाषित अपराधों का दुष्प्रेरण करेगा चाहे उसके परिणामस्वरूप अपराध घटित हुआ हो या नहीं तो उसे ऐसे दुष्प्रेरण के लिए ऐसे कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, किन्तु जो छह मास से कम की नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडणीय होगा।

धारा 8. लोक सेवक पर भ्रष्ट या विधि विरुद्ध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण लेना-

जो कोई अपने लिए या किसी अन्य के लिए किसी प्रकार का कोई परितोषण किसी लोक सेवक को चाहे नामित हो या अन्यथा, को भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा ऐसी बात के लिए उत्प्रेरित करने के लिए हेतु या ईनाम के रूप में किसी व्यक्ति से प्रतिग्रहीत या अभिप्राप्त करेगा या करने के लिए सहमत होगा या करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक अपना कोई पदीय कार्य करे या करने से प्रतिविरत रहे या किसी व्यक्ति का अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह करे या दिखाए अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, संसद या राज्य विधान मंडल या किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या धारा 2 के खंड ग में वर्णित शासकीय कम्पनी अथवा किसी लोक सेवक से चाहे नामित हो या अन्यथा ऐसे कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी किन्तु जो छह मास से कम नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

जय हिंद Human rights Foundation Of India